राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

खंड पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11063/2019

1. कर्नल मनोहर सिंह राठौर पुत्र श्री अमर सिंह, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासीः कोर्ना हाउस-118, हनवंत, बी.बी.जे.ऐस. जोधपुर, राजस्थान

2. जोर सिंह पुत्र श्री झाल सिंह, आयु लगभग 55 वर्ष, गाँव-ओटवाला, तहसील-सायला, जिला-जालौर, राजस्थान

3. शंभू सिंह पुत्र श्री मोद सिंह, आयु लगभग 46 वर्ष, गाँव-ओटवाला, तहसील-सायला, जिला जालौर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव, विभाग द्वारा से राजा राजस्थान का एक बनाम आई. जी. एच. राज्य, पर्यावरण और वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान सरकार, जयपुर

3. जिला कलेक्टर, जालौर

4. तहसीलदार, सायला, जिला-जालौर, राजस्थान

5. उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, सायला, जिला-जालौर, राजस्थान

6. खंड-विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सायला, जिला-जालौर, राजस्थान

7. सरपंच, ग्राम पंचायत-ओथवाला, जिला-जालौर, राजस्थान

8. धन सिंह पुत्र मंगल सिंह, बी/सी राजपूत, निवासी पुत्र ओटवाला, तहसील-सायला, जिला-जालौर राजस्थान

------उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री राजेश पंवार

श्री आयुष गहलौत

प्रतिवादीओं के लिएः श्री मनीष व्यास, एएजी

तत्काल रिट याचिका में जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा के पेड़ों को उखाड़ने की मंजूरी दी गई थी। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर राहत मांगी कि ये विशिष्ट पेड़ जवई नदी के मार्ग को बदलने से रोकते हैं। कलेक्टर के आदेश की पुष्टि इस तर्क पर की गई कि पेड़ों की उक्त प्रजातियां पारिस्थितिकी को प्रभावित करती हैं और निर्देश दिया गया कि उत्तरदाताओं को नदी का मार्ग जैसा है वैसा ही सुनिश्चित करते हुए झाड़ियों/पेड़ों की विभिन्न प्रजातियों को लगाना चाहिए।

माननीय न्यायाधीश श्री संदीप मेहता

माननीय न्यायाधीश श्री समीर जैन

आदेश

रिपोर्टेबल

14/12/2021

जनहित की प्रकृति में तत्काल रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा यहाँ याचिका दायर की गई है, जिनमें निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गईः

"10.1 इसलिए, यह सबसे अधिक सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा-दिनांकित 16.03.2018 (अनुलग्नक 2) जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करके अलग रखा जा सकता है।

10.2 एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा प्रतिवादी अधिकारियों को कृपया इसके उपयुक्त अधिकारियों और अन्य व्यक्ति विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 8 को अन्य पेड़ों और झाड़ियों सहित प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा (विलायती बाबुल के पेड़) को काटने से रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने/ऐसे कदम उठाने का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा, उन्हें जवई नदी के तट (दोनों तरफ) पर मौजूदा वृक्ष रेखा की रक्षा करने का निर्देश दिया जा सकता है।

10.3 एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा प्रतिवादी अधिकारियों को उनकी कार्रवाई के कारण प्रभावित स्थिति को बहाल करने के लिए पेड़ लगाने का निर्देश दिया जा सकता है।

10.4 कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित मान सकता है, विनम्र याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जा सकता है।

10.5 रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जा सकती है।

रिट याचिका के अभिवचनों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं की मूल शिकायत यह है कि अधिक बारिश के कारण, अक्सर जवई नदी का मार्ग बदल जाता है और इस तरह ओटवाला और रेवताडा गाँव बाढ़ के पानी से भर जाते हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा (विलायती बाबुल) के पेड़, जो नदी के तटबंधों पर बहुतायत में बढ़ रहे हैं, नदी के मार्ग परिवर्तन के खिलाफ एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप में कार्य करते हैं और इस तरह इन गांवों की रक्षा करते हैं।

इन आधारों पर, याचिकाकर्ताओं ने जिला कलेक्टर, जालौर द्वारा जारी किए गए न्यायालय के आदेश दिनांक 16.03.2018 को चुनौती है, जिसके तहत इस क्षेत्र में प्रोसोपिस एन हाई नॉट जूलिफ्लोरा के पेड़ों को उखाड़ने के लिए मंजूरी दी गई है।

प्रतिवादियों ने रिट याचिका का जवाब दायर किया है, जिसमें यह विशेष रूप से कहा गया है कि जवाई नदी भारी बारिश के दौरान अपना मार्ग बदलती है क्योंकि नदी के तल में प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा झाड़ियाँ उग गई हैं, जिससे पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा आती है। प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा के पेड़ों की दुर्गंध को दूर करने के लिए सभी प्रतिवादीओं का उद्देश्य नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा को रोकना है। ग्राम पंचायत ओटवाला ने तहसीलदार सायला से नदी के तल से प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा के पेड़ों को हटाने की अनुमति मांगी और उसके अनुसरण में, सार्वजनिक नीलामी नोटिस जारी किया गया और उसके बाद बोली लगाने वाले को बाधा डालने वाली इन झाड़ियों को हटाने की अनुमति दी गई है। जवाब के साथ, प्रतिवादीओं ने ग्राम पंचायत ओटवाला के कार्यालय से जारी किए गए पत्र दिनांकित 07.06.2019 की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी है, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने विलायती बाबुल के पेड़ उगाकर नदी के प्रवाह क्षेत्र में बादाम उगाए हैं, जिससे नदी के प्रवाह में बाधा आती है। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादीओं के जवाब में किए गए दावों का विरोध करने के लिए प्रत्युत्तर और एक अतिरिक्त शपथ पत्र दायर किया है।

हमने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुन कर उन पर विचार किया है और विद्वान ए. एएजी और अभिलेख द्वारा रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

शुरुआत में, हम ध्यान दें सकते हैं कि प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा झाड़ियों को हटाने का निर्णय संबंधित ग्राम न्यायालय पंचायत से प्राप्त शिकायत के अनुसरण में जालौर के जिला कलेक्टर द्वारा लिया गया था। इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा झाड़ियों की बड़े पैमाने पर वृद्धि क्षेत्र की संपूर्ण पारिस्थितिकी को परेशान कर रही है। ये पेड़ एक देशी प्रजाति नहीं हैं और शुरू में रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए आयात कर लगाए गए थे। हालांकि, समय के प्रवाह के साथ, ये झाड़ियाँ, जो बहुत लचीली हैं, अब एक आक्रामक प्रजाति का दर्जा ग्रहण कर चुकी हैं, जिससे राजस्थान के कई क्षेत्रों की मिट्टी और पारिस्थितिकी को व्यापक नुकसान हो रहा है। सरकार को इन पेड़ों को हटाने के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो स्थानीय जीवों और वनस्पतियों को नष्ट कर देते हैं और उन्हें हटाने के लिए बहुत अधिक खर्च और प्रयास की आवश्यकता होती है। प्रतिवादीओं ने एक प्रासंगिक दलील दी है कि नदी के तल से झाड़ियों को हटाया जा रहा है क्योंकि आक्रामक पौधों की प्रजातियों के अनियंत्रित विकास ने प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न की है जिससे

भारी बारिश की स्थिति में नदी का मार्ग बदल गया है। याचिकाकर्ता कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके प्रतिवादी की इस प्रासंगिक प्रस्तुति का विरोध करने में समर्थ नहीं हुए हैं।

इस पृष्ठभूमि में, हमारा दृढ़ विचार है कि जिस विवादित आदेश के तहत जिला कलेक्टर ने नदी के तल से विलायती बाबुल झाड़ियों को हटाने का निर्देश दिया था, वह किसी भी अवैधता या मनमाने तरीके से हस्तक्षेप से ग्रस्त नहीं है। हालाँकि, अप्रिय बाबुल झाड़ियों को हटाते समय, उत्तरदाताओं को नदी के तटबंधों पर स्थानीय प्रजातियों के पेड़/झाड़ियाँ लगाने का भी अभ्यास करना चाहिए ताकि उन्हें मजबूत किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पानी नदी के निर्दिष्ट चैनल/प्राकृतिक प्रवाह धारा में बह रहा है।

रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त टिप्पणियों के साथ किया जाता है।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

न्यायाधिपति संदीप मेहता

न्यायाधिपति समीर जैन

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।